

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(27)एमई/ग्रुप-1/83

जयपुर, दिनांक 28 DEC 2020


आदेश

डॉ. सुमित्रा बोड़ा, वरिष्ठ आचार्य, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर (जन्म तिथि 03.07.1954) को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.02.2014 के द्वारा दिनांक 31.07.2014 को मध्याह्न पश्चात् से सेवानिवृत्त किया गया था।

इस क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. बोड़ा के विरुद्ध आज तक :-:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


आज्ञा से,


(सुनील शर्मा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जोधपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
6. डॉ. सुमित्रा बोड़ा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ आचार्य, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
7. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


(रमेश चन्द्र आर्य)

शासन वरिष्ठ उप सचिव